रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247036
CG-DL-E-05072023-247036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2754] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945
No. 2754] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2877(अ).—प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2776 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 12 जुलाई, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पूर्व गारो पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी और दक्षिणी गारो पहाड़ी जिलों के त्रि-जंक्शन पर स्थित है और 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह अक्षांश 25° 30' 26.681" उ से 25° 24' 17.417" उ और देशांतर 90° 14' 35.600" पू से 90° 33' 55.695" पू के बीच स्थित है और यह संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ी भू-भाग है जो मेघालय के पश्चिम भाग में तूरा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसके चारों ओर का क्षेत्र उक्त तीनों जिलों के लिए प्रमुख वाटर शेड है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मुख्य नदी प्रणालियों का महत्त्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है जो गारों पहाड़ी के निम्न क्षेत्रों का पोषण करता है और इस क्षेत्र से तीन मुख्य नदियां सिमसंग, गनोल और दरेंग उत्पन्न होती हैं जिससे इस राष्ट्रीय उद्यान का महत्त्व बढ जाता है। नितांई, भुगई, दिदारी, मंडल, रोमबोंग, कम्पील, सोबोक, चीबे आदि अन्य महत्त्वपूर्ण जल प्रणालियां है। इस क्षेत्र की मिट्टी लाल दुम्मटी है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र हैं जिसमें अधिक वर्षा होती है तथा उच्च आर्द्रता रहती है सर्दी में साधारण ठंड पडती है तथा ग्रीष्म ऋतु सुहावनी रहती है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान में निम्न ऊंचाई पर बांस के लट्ठों सहित चौंडी पत्तियों वाले सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं और यह क्षेत्र जैव-भौगोलिक प्रदेश, बर्मा मानसून वन (4.09.04) के अंतर्गत आता है और यह उत्तर-पूर्व भारत में जैव भौगोलिक इकाई 9बी मेघालय पहाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यहां के वनों में उष्ण कटिबंधी अर्ध-सदाहरित वनों के अंतर्गत समूहित पूर्वी उप-पर्वतीय अर्द्ध-सदाहरित वन (उप-प्रकार 26/सी16) प्रकार के वन पाए जाते हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान और इसके चारों ओर (जैवमंडल रिजर्व के बफर और संक्रमण जोन) की वनस्पति को सरसरी तौर पर ऊंचाईयों के आधार पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति समुद्र स्तर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में पायी जाती है। यहां की वनस्पति में सदाहरित, अर्ध सदाहरित, आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति और बांस की झाड़ियां सम्मिलित हैं;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के साथ नोकरेक जैवमंडल रिज़र्व में गारो पहाड़ी के कुछ अद्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत कोर क्षेत्र शामिल हैं और यह जैव-विविधता का एक वैश्विक हॉटस्पाट है जो अछूते वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सुंदरता, शांत विविधता पूर्ण वनस्पति, जीवजंतुओं और मानव संस्कृति के विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करता है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति और जीवजंतु जैवविविधता का संरक्षण करता है और यहां वनस्पति की लगभग 75 प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिनमें *सेचीमा वाल्लीचि, टर्मिनलिया बेलेरिका, टर्मिनलिया चेबुला, अल्बिजिया लेब्बक, सिजिगियम स्प, अलुकीडा स्प., ग्लायकोडियम स्प., कस्टानोपिस हायस्ट्रीक्स, लिट्सिया नापालेंसिस, अकरोकारपस फ्राक्सीनिफोलियस, रहुस जवानीका, फिकुस स्प., जिजिफुस रुगोसा, परेमना मल्टीफ्लोरा, मिटराफोरा टोमेंटोसा, अगलाटा रूक्बुरघि, ल्लेलिकिया रूबुस्टा, क्यूइरकुस सेमीसेराटा, इरयोबूटयरा बेंगलेसिस, बरेयनिया पटेंस, इंगेल हंदिया, दीलेनियापेंटगयना, क्ल्लेकापुस फ्लोरीबंडस, गिमेलीना अरबोरिया, गोरोइनिया अल्फिनिस, गलोचीदीओन स्प., किटसिया स्प., होलारर्हाइना अंटीयसेंटरीका, लेगरसटोमिया स्प., कायदिया कैलीसीना, सल्मालिया मालाबरिका, स्ट्रेकुलिया विलोसा, अपोरोसा दिओकिया, मैलोटस फीलीपेंसिस, बयहुनिया स्प., कलिकारपा अरबोरिया, इम्बिलिका ओफ्फिकिनालिस, सिन्नामोमुम स्प., हीबिस्कुस मक्रोफयलुस,* आदि शामिल हैं। यहां की वानस्पतिक संरचना में *मिचेलिया स्प., अपोरोसा वाल्लिचि, करयपटोकेरा अंदेर्सोनि, मेसुआ फेर्रा, कस्टनोपिस हायस्ट्रीक्स, केस्टनापोसिस अमाटा, बेटुला कुलींदरीस्टाचीस* आदि शामिल है। इन क्षेत्रों का तल 1 से 2 मीटर की लम्बाई की कुछ झाड़ियां जैसे *मुंरोनिया पिन्नाटा, इरयोबोटरा अंगुस्टीस्सिमा, अंटीस्ट्रोफे, ओक्सयंथा, स्ट्राबिलांथुस गलोमेराटुस और इरिअंथुस स्प.* से आच्छादित हैं। वन क्षेत्रों के बीच वन रहित क्षेत्रों में खरपतवार जैसे कि *इयपथोरियम अडोराटीओन, मिचेनिया मिचरांटा, करोटो स्प.* पाए जाते हैं। बांस प्रजातियों में *दीनोचलोअ मैकेल्लोअंदी और मेलाकाना बेम्बोसोइदेस* शामिल हैं। अधिजीविक विकास भी इन वनों में खूब हुआ है और लगभग प्रत्येक वृक्ष में अधिजीविक ऑर्किड, फर्न का और अन्य पौधों का घना विकास हुआ है। भू-वनस्पति के अंतर्गत *अल्पिनिया स्प., अमोमुम स्प., कोलोकसिया स्प., कोस्टरूस स्प., हेडेयचीयम स्प., चीतरूस इंडिका, चीतरूस लेपटीस, सिटरूस रेटीक्यूलेट, सिटरूस अयरानटीफोलिया स्विंगले, सिटरूस ग्रांदीस, सिटरूस जामबिरी और सिटरूस लिमोन* आदि जैसी प्रजातियां शामिल है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रमुख: जीवजंतु प्रजातियाँ रहती है जिनमें हूलॉक गिब्बन (*हूलॉक हूलॉक*), रेसुस बंदर (*मकाका मुलाटा*), स्टम्प टेल्ड मैकाक (*मकाका आर्कटाइड्स*), पिग टेल्ड मैकाक (*मकाका लियोनिना*), कैप्ड लंगूर (*ट्रेचीपिथेकस पाइलेटस*), हिमालयन ब्लैक बियर (*उर्सस थिबेटनस लैनिगर*), सन बियर (*हेलारक्टोस मलायनस*), साल (*मैनिस क्रैसिकौडाटा*), लजीला वानर (*निक्टिसेबस एसपी.*), बोनट मंकी (*मकाका*

रेडियाटा), मलायन जायंट गिलहरी (*रतुफा बाइकलर*), हिमालयन गिलहरी (*ड्रेमोमिस लोकरिया*), उड़ने वाली गिलहरी (*पेटौरिस्टा एसपी.*), बिंटुरोंग (*आर्कटिक्टिस बिंटुरोंग*), लमचित्ता (*नियोफेलिस नेबुलोसा*), सांभर (*रूसा यूनीकलर*), मुंजक (*मुंटियाकस मुंटजैक*), सेरो (*कैपरीकोर्निस एसपी.*), जंगली हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), बनैला सूअर (*सुस स्क्रोफा*), भैसा (*बॉस गौरस*), भारतीय लोमडी (*वुल्प्स बेंगालेंसिस*), भारतीय भेड़िया (*कैनिस ल्यूपस*), साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), नेवला (*हर्पेस्टेस एसपी.*), गंधबिलाव (*विवरा एसपी.*) आदि शामिल है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों में समृद्ध है तथा महत्त्वपूर्ण प्रजातियों जैसे कि कलिज तीतर (*लोफुरा ल्यूकोमेलानोस*), ग्रेट इंडियन पाइड हॉर्नबिल (*बुसेरोस बाइकोर्निस*), कॉमन हॉर्नबिल (*बुसेरोस बाइकोर्निस*), मोर तितर (*पॉलीप्लेक्ट्रॉन बाइलकारटम*), क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (*स्पिलोर्निस चीला*), आदि को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। क्षेत्र के सरीसृपों में सांपो, छिपकलियों और कछुओं की कई प्रजातियां शामिल है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में संकटापन्न और लुप्तप्राय वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिनका यहां रक्षण, परिरक्षण होता हैं और उन्हे आश्रय मिलता है इनमें *साइट्रस इंडिका, नेपेंथेस खासिअना, पैफियोपेडिलम वेनुस्टम, बिंटुरॉन्ग, हूलॉक गिब्बन, लमचित्ता, गौर, पिग-टेल्ड मैकाक, स्टंप-टेल्ड मैकाक, एशियाई हाथी, तेंदुआ, बृहत गिलहरी* आदि शामिल हैं;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों को और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य के पूर्व गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिले में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.272 किलोमीटर से 6.976 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण पैरा 1 में निर्दिष्ट है, पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करना, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.272 किलोमीटर से 6.976 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 224 वर्ग किलोमीटर होगा।

(2) नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(4) नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूचियां **उपाबंध -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई **हैं।**

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध -IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से एक आंचलिक महायोजना बनाई और अधिसूचित की जायेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा ।

राज्य सरकार, इको-सेंसिटिव ज़ोन के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय लोगों के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर एक जोनल मास्टर प्लान तैयार और अधिसूचित करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा उस समय लागू प्रासंगिक विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन;

(v) शहरी मामले;

(vi) जिला परिषद मामले;

(vii) पर्यटन;

(viii) सामुदायिक और ग्रामीण विकास;

(ix) जल संसाधन;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज;

(xii) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, मछली पालन क्षेत्र, पशुपालन स्थल (खुटी), ऑर्किड, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए मानचित्रों को भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा बनाई और अधिसूचित की गई आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर इस मामले में, विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से मेघालय क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, (1973), सक्षम प्राधिकारी तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैरा-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात, आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे, आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 (अ) दिनांक 14 सितंबर, 2006 और अन्य लागू नियमों तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध

		होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और मौजूदा रेड कैटेगरी के उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्योगों के वर्गीकरण पर सीपीसीबी के दिशानिर्देश, 2016 उनके पत्र संख्या बी-29012/ईएसएस (सीपीए)/2015-2016 दिनांक 07.03.2016 द्वारा लागू होंगे।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार के लिए अनुमति नहीं होगी ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
10.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमत भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

	के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी क्रियाकलाप के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

i. वन संरक्षक (क्षेत्रीय और वन्यजीव), गारो हिल्स, मेघालय सरकार- अध्यक्ष,पदेन;

ii. पूर्व गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट और साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक तीन जिलों के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए- सदस्य, पदेन;

iii. मुख्य वन अधिकारी, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी)- सदस्य, पदेन;

iv. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, मेघालय सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए- सदस्य, पदेन;

v. मेघालय सरकार द्वारा नामित प्रकृति संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि- सदस्य;

vi. मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि- सदस्य, पदेन;

vii. मेघालय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले प्रतिष्ठित संस्थान/विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ- सदस्य;

viii. राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ- सदस्य;

ix. प्रभागीय वन अधिकारी, गारो हिल्स वन्यजीव प्रभाग, तुरा- सदस्य-सचिव, पदेन।

6. निगरानी समिति के कार्य.-

(1) निगरानी समिति वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर छानबीन करेगी, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. न्यायालय और न्यायाधिकरण के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/25/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा ,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - I

क. मेघालय, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

उत्तर: राष्ट्रीय उद्यान रोंगमा-परोमगरे ए'किंग, नो मैन्स भूमि नबोक्गरे, सोबोक्गरे, अदुगरे ए'किंग और नो मैन्स भूमि के भाग के उत्तरी भाग द्वारा उत्तर में घिरा हुआ है। बैंगसिंगगरिया'किंग का उत्तरी भाग और नो मैन्स भूमि का भाग। अमपनगगरे, बंदीगरे ए'किंग का उत्तरी भाग और नो मैन्स भूमि का भाग। दुराकालाकगरे, सकलगरेखास भूमि और दरेचीकगरे ए'किंग का उत्तरी भाग।

पूर्व: रोंगमा परोमगरे ए किंग, अरौक नोकटगरे ए किंग और रोंगमा-दबलगरे ए किंग के पूर्वी भाग द्वारा पूर्व में घिरा हुआ है।

दक्षिण: दारेंगगरे ए किंग, रोंगकुगरे एकिंग, दुराअसीमगगरे और दुरा अमीनगगरे और दुराअबानदाएकिंग के दक्षिणी भाग, अवेगिरि, अंचीगरे, वगेचीरीनगगरे, रोंगदोगरे और दोमा अदीनगगरे ए किंग के दक्षिणी भाग द्वारा दक्षिण में घिरा हुआ है।

पश्चिम: तुरा जलग्रहण क्षेत्र और दरेंगरे ए'किंग द्वारा पश्चिम में घिरा हुआ है।

ख. मेघालय, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सामान्य सीमा का विवरणः

उत्तर: उत्तरी सीमा ग्रामों जैसे दुरा कालाकगरे (25°30'21.363" उ एवं 90° 18' 59.373" पू) संरक्षित क्षेत्र से लगभग 3.12 किलोमीटर, संरक्षित क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर मंडलगरे (25° 31' 3.205" उ एवं 90° 22' 8.718" पू) मंडल नोकत (25° 30' 28.331" उ एवं 90° 20' 5.867" पू) जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 4.43 किलोमीटर है, संरक्षित क्षेत्र से लगभग 2.36 किलोमीटर बनसींगगरे (25° 29' 17.239" उ एवं 90° 26' 52.385"पू) बंदीगरे (उ 25.506783 एवं पू 090.400317) जो संरक्षित क्षेत्र से 3.39 किलोमीटर से बना हुआ है।

पूर्व: पूर्वी सीमा के अंतर्गत ग्रामों जैसे ककवा दुरागरे (25° 25' 49.291" उ एवं 90° 33' 14.669" पू) है जो संरक्षित क्षेत्र से सिर्फ लगभग 0.42 किलोमीटर है।

पश्चिम: पश्चिमी सीमा ग्रामों जैसे नीकरंग ए किंग (25° 30' 46.245" उ एवं 90° 13' 47.204" पू), जो लगभग 1.77 किलोमीटर है और दरेंगरे (25° 28' 55.538" उ एवं 90° 14' 17.126" पू) जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 1.80 किलोमीटर है, से बनी ।

दक्षिण: दक्षिणी सीमा के अंतर्गत ग्रामों जैसे अंचीगरे (25° 25' 50.634" उ एवं 90° 19' 7.181" पू) जो क्षेत्र से लगभग 2.33 किलोमीटर है और रोंगासीगरे (25° 25' 19.764" उ एवं 90° 25' 31.539" पू) जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 2.81 किलोमीटर आते है।

भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरणः

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा 25° 31' 43.055" उ 90° 14' 37.710"पू, में स्टेशन सं. 1 में रोंगखोन धारा प्रवाह पर बिंदु से आरंभ होती है, इसके बाद 25° 31' 34.284" उ 90° 15' 15.126" पू में स्टेशन सं. 2 के दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 20.913" उ 90° 15' 40.744" पू में स्टेशन सं. 3 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 8.311" उ 90° 16' 4.669" पू में स्टेशन सं. 4 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 7.307" उ 90° 16' 33.042" पू में स्टेशन सं. 5 के पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 9.281" उ 90° 16' 58.518" पू में स्टेशन सं. 6 के गनोल नदी के निकट पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 33.509" उ 90° 17' 9.333" पू में स्टेशन सं. 7 के गनोल नदी के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 34.291" उ 90° 17' 27.016" पू में स्टेशन सं. 8 के उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 27.856" उ 90° 17' 56.720" पू में स्टेशन सं. 9 के पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 9.564" उ 90° 18' 13.531" पू में स्टेशन सं. 10 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 51.885" उ 90° 18' 28.494" पू में स्टेशन सं. 11 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 37.010" उ 90° 18' 40.751" पू में स्टेशन सं. 12 के गनोलसा बांध के निकट दुराकालाकगरे ए किंग के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 21.363" उ 90° 18' 59.373" पू में स्टेशन सं. 13 के दुराकालाकगरे-बालादिनगगरे ग्राम सड़क के त्रि-जंक्शन के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 21.295" उ 90° 19' 38.360" पू में स्टेशन सं. 14 के पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 28.331" उ 90° 20' 5.867" पू में स्टेशन सं. 15 के मंडल नोकट ग्राम के उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 28.836" उ 90° 20' 36.590" पू में स्टेशन सं. 16 में सीमसंग नदी के उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 55.032" उ 90° 21' 1.184" पू में स्टेशन सं. 17 के सीमसंग नदी के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 14.757" उ 90° 21' 29.967" पू में स्टेशन सं. 18 के सीमसंग नदी से मंडल नदी के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 3.205" उ 90° 22' 8.718" पू स्टेशन सं. 19 के मंडलगरे ग्राम ऊंच पहाड़ी के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 53.438" उ 90° 22' 45.611" पू में स्टेशन सं. 20 के रोंगकिंगगरे से बंदीगरे ग्राम के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 45.368" उ 90° 23' 18.318" पू में स्टेशन सं. 21 के रोंगकिंगगरे से बंदीगरे ग्राम के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 29.397" उ 90° 23' 40.846" पू में स्टेशन सं. 22 के रोंगबैंग नदी के निकट दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 30' 18.441" उ 90° 24' 6.285" पू में स्टेशन सं. 23 के बंदीगरे से अम्पनगगरे ग्राम सड़क के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 58.209" उ 90° 24' 44.259" पू में स्टेशन सं. 24 के अन्पनगगरे ग्राम के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 34.396" उ 90° 25' 9.239" पू में स्टेशन सं. 25 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 18.701" उ 90° 25' 43.667" पू में स्टेशन सं. 26 के दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 24.092" उ 90° 26' 14.266" पू में स्टेशन सं. 27 में कम्पील नदी के उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 3.962" उ 90° 26' 31.398" पू में स्टेशन सं. 28 के वकिदनांग धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पूर्वी की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 17.239" उ 90° 26' 52.385" पू में स्टेशन सं. 29 के वकदिनांग धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पूर्वी

की ओर जाती है, इसके बाद सीधी रेखा के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और 25° 29' 12.314" उ 90° 27' 22.152" पू में स्टेशन सं. 30 में मिलती है, इसके बाद 25° 29' 3.748" उ 90° 27' 57.059" पू में स्टेशन सं. 31 के उच्च पहाड़ी के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 28' 52.299" उ 90° 28' 35.251" पू में स्टेशन सं. 32 के जींगमगरे ग्राम के निकट सीधी रेखा के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 5.898" उ 90° 28' 31.986" पू में स्टेशन सं. 33 के उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 24.172" उ 90° 28' 58.371" पू में स्टेशन सं. 34 के नेनगसंग अदुगरे और जींगमगरे ग्राम के बीच दोसीम नदी के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 13.053" उ 90° 29' 25.027" पू में स्टेशन सं. 35 के दोसीम नदी के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 16.999" उ 90° 29' 59.056" पू में स्टेशन सं. 36 के पतलगरे ग्राम के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 10.310" उ 90° 30' 20.720" पू में स्टेशन सं. 37 के पतलगरे ग्राम सड़क के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 28' 55.588" उ 90° 30' 43.022" पू में स्टेशन सं. 38 के सोबोक चीरिंग/धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद सोबोक चीरिंग/धारा प्रवाह के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और 25° 28' 33.998" उ 90° 30' 42.664" पू 39 में मिलती है, इसके बाद 25° 28' 7.114" उ 90° 31' 6.941" पू में स्टेशन सं. 40 के सोबोक चीरिंग/धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 27' 56.658" उ 90° 31' 41.550" पू में स्टेशन सं. 41 के सोबोक चीरिंग/धारा प्रवाह के निकट दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 27' 45.511" उ 90° 32' 15.758" पू में स्टेशन सं. 42 के नबोकगरे ग्राम के साथ सीधे जाते हुए दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है।

पूर्व : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा 25° 27' 45.511" उ 90° 32' 15.758" पू में स्टेशन सं. 42 से आरंभ होती है, इसके बाद 25° 28' 3.908" उ 90° 32' 48.438" पू में स्टेशन सं. 43 के चीबोक नदी के निकट होते हुए दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 27' 42.973" उ 90° 32' 56.804" पू में स्टेशन सं. 44 के चीबोक नदी के निकट दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 27' 14.419" उ 90° 32' 52.879" पू में स्टेशन सं. 45 के कब्का रोंगबोकगरे ग्राम सड़क के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 26' 50.513" उ 90° 33' 1.198" पू में स्टेशन सं. 46 के चेकडैम के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 26' 24.112" उ 90° 33' 12.271" पू 47 के कब्का रोंगबोकगरे ग्राम सड़क के निकट होते हुए दक्षिण—पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 49.291" उ 90° 33' 14.669" पू में स्टेशन सं. 48 के सीधी रेखा के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 35.817" उ 90° 34' 0.720" पू में स्टेशन सं. 49 के चीबे नदी के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 29.221" उ 90° 34' 40.851" पू में स्टेशन सं. 50 के चीबे नदी के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 38.073" उ 90° 34' 52.655" पू में स्टेशन सं. 51 के गोंजागरे ग्राम के निकट दक्षिणी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 10.602" उ 90° 34' 29.149" पू में स्टेशन सं. 52 के गोंजा धारा प्रवाह के साथ दक्षिणी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 16.619" उ 90° 33' 43.012" पू में स्टेशन सं. 53 के गोंजा धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 23' 53.941" उ 90° 33' 10.357" पू में स्टेशन सं. 54 के गोंजा धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 29.221" उ 90° 34' 40.851" पू में स्टेशन सं. 55 के रोंगदीक धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद रोंगदीक धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है और 25° 23' 31.283" उ 90° 32' 31.939" पू में स्टेशन सं. 56 में मिलती है, इसके बाद 25° 22' 36.906" उ 90° 32' 10.027" पू में स्टेशन सं. 57 के रोंगदीक धारा प्रवाह के साथ दक्षिण-पश्चिमी की ओर जाती है।

दक्षिण: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा 25° 22' 36.906" उ 90° 32' 10.027" पू में स्टेशन सं. 57 से आरंभ होती है, इसके बाद 25° 22' 58.664" उ 90° 31' 27.539" पू में स्टेशन सं. 58 के रोम्पा नदी के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 23' 13.574" उ 90° 31'

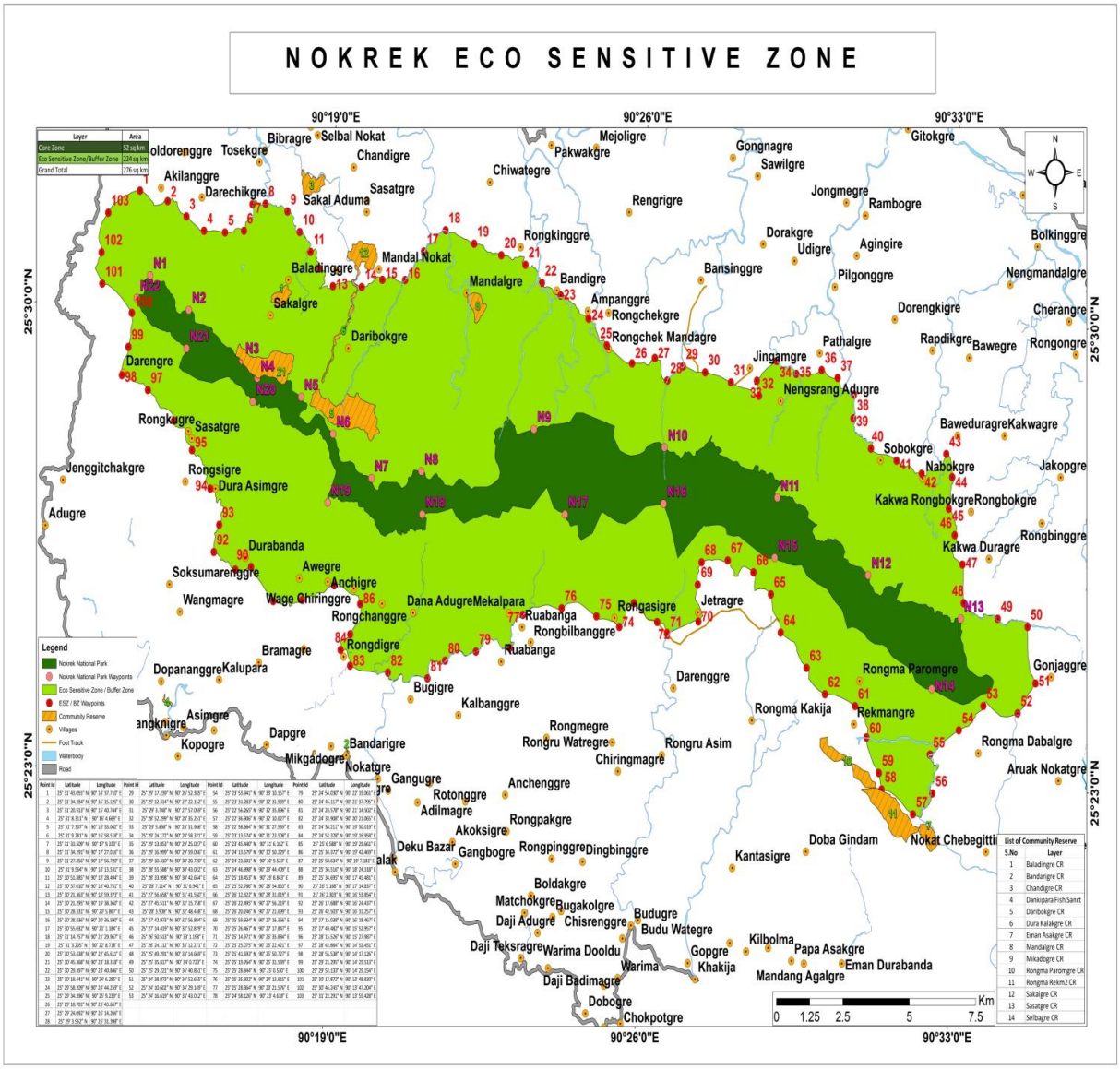
23.508" पू में स्टेशन सं. 59 के उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 23' 45.440" उ 90° 31' 6.162" पू में स्टेशन सं. 60 के रोम्पा नदी के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 13.579" उ 90° 30' 50.229" पू में स्टेशन सं. 61 के रेकमंगरे ग्राम के समानांतर होते हुए उत्तर-पश्चिमी की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 23.601" उ 90° 30' 9.523" पू में स्टेशन सं. 62 के काकीजा धारा प्रवाह के स्त्रोत के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 46.998" उ 90° 29' 44.409" पू में स्टेशन सं. 63 के काकीजै धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 18.453" उ 90° 29' 8.843" पू में स्टेशन सं. 64 के चीगीटचाक धारा प्रवाह के समानांतर होते हुए उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 52.786" उ 90° 28' 54.863" पू में स्टेशन सं. 65 के धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 26' 12.322" उ 90° 28' 31.019" पू में स्टेशन सं. 66 के जेटरागरे ए किंग के साथ उत्तर-पश्चिमी की ओर जाती है, इसके बाद 25° 26' 22.495" उ 90° 27' 56.219" पू में स्टेशन सं. 67 के जेटरागरे ए किंग के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 26' 20.246" उ 90° 27' 21.099" पू में स्टेशन सं. 68 के जेटरागरे ग्राम सड़क के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 59.934" उ 90° 27' 16.366" पू में स्टेशन सं. 69 के जेटरागरे ग्राम सड़क के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 26.467" उ 90° 27' 17.847" पू में स्टेशन सं. 70 के जेटरागरे ग्राम के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 14.971" उ 90° 26' 35.884" पू में स्टेशन सं. 71 के दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 25.075" उ 90° 26' 22.421" पू में स्टेशन सं. 72 के दरेंगगरे-रोंगासीगरे ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 41.693" उ 90° 25' 50.727" पू में स्टेशन सं. 73 के रोंगासीगरे ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 19.764" उ 90° 25' 31.539" पू में स्टेशन सं. 74 के रोंगासीगरे ग्राम सड़क के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 28.844" उ 90° 25' 0.530" पू में स्टेशन सं. 75 के रोंगासीमरे ग्राम की रोंगासी धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 35.302" उ 90° 24' 13.615" पू में स्टेशन सं. 76 के बुगी नदी के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 28.364" उ 90° 23' 21.576" पू में स्टेशन सं. 77 के बुगी नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 58.126" उ 90° 23' 4.618" पू में स्टेशन सं. 78 के बुगी नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 54.030" उ 90° 22' 19.061" पू में स्टेशन सं. 79 के बुगी नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 45.117" उ 90° 21' 37.795" पू में स्टेशन सं. 80 के बुगी नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 24' 28.578" उ 90° 21' 14.502" पू में स्टेशन सं. 81 के बुगी नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद बुगीगरे ग्राम में बुगी नदी के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और दरेंग धारा प्रवाह के साथ उसी नदी से जुड़ती है जहां यह अदुगरे ग्राम का स्त्रोत है और 82 at 25° 24' 32.908" उ 90° 20' 21.065" पू में स्टेशन सं. 82 में मिलती है, इसके बाद 25° 24' 38.211" उ 90° 19' 30.019" पू में स्टेशन सं. 83 के रोंगदी नदी के साथ होते हुए पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद रोंगदी नदी के साथ होते हुए उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और 25° 24' 52.328" उ 90° 19' 16.958" पू में स्टेशन सं. 84 में मिलती है, इसके बाद 25° 25' 6.588" उ 90° 19' 29.661" पू में स्टेशन सं. 85 के रोंगदी नदी के साथ होते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 34.372" उ 90° 19' 42.469" पू में स्टेशन सं. 86 के रोंगदी नदी के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 50.634" उ 90° 19' 7.181" पू में स्टेशन सं. 87 के अंचीगरे से वगे चीरिंगगरे ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 36.516" उ 90° 18' 24.318" पू में स्टेशन सं. 88 के नोरंग नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 25' 34.695" उ 90° 17' 45.481" पू में स्टेशन सं. 89 के नोरंग नदी के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद दुराबंदा ग्राम में अम्बीसी नदी के साथ उत्तर-पश्चिमी की ओर जाती है और

25° 26' 5.168" उ 90° 17' 14.837" पू में स्टेशन सं. 90 में मिलती है, इसके बाद 25° 26' 2.303" उ 90° 16' 53.854" पू स्टेशन सं. 91 में दुराबंदा ग्राम के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद दुराबंदा ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और 25° 26' 17.688" उ 90° 16' 24.437" पू स्टेशन सं. 92 में मिलती है, इसके बाद दुराबंदा से दुरा असीम ग्राम सड़क के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है और आखिरकार 25° 26' 42.503" उ 90° 16' 31.257" पू में स्टेशन सं. 93 में मिलती है, इसके बाद 25° 27' 15.038" उ 90° 16' 18.467" पू में स्टेशन सं. 94 के दुरा असीम पहाड़ी के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 27' 49.482" उ 90° 15' 52.957" पू में स्टेशन सं. 95 के सासातगरे से दुरा असीम ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 28' 15.526" उ 90° 15' 27.987" पू में स्टेशन सं. 96 रोंगकुगरे से दरेंगरे ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 28' 42.664" उ 90° 14' 52.451" पू में स्टेशन सं. 97 के रोंगकुगरे से दरेंगरे ग्राम सड़क के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है।

पश्चिम : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा 25° 28' 42.664" उ 90° 14' 52.451" पू में स्टेशन सं. 97 से आरंभ होती है ,इसके बाद 25° 28' 55.538" उ 90° 14' 17.126" पू में स्टेशन सं. 98 दरेंगरे ग्राम खेल मैदान और स्कूल कम्पाउंड के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 21.295" उ 90° 14' 25.513" पू में स्टेशन सं. 99 के दरेंगरे ग्राम के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 29' 52.133" उ 90° 14' 29.154" पू में स्टेशन सं. 100 के धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद तुरा जलग्रहण क्षेत्र के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और 25° 30' 17.872" उ 90° 13' 48.830" पू में स्टेशन सं. 101 में मिलती है, इसके बाद 25° 30' 46.245" उ 90° 13' 47.204" पू में स्टेशन सं. 102 के सीधी रेखा के साथ उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 22.291" उ 90° 13' 55.428" पू में स्टेशन सं. 103 के उत्तरी दिशा की ओर जाती है, इसके बाद 25° 31' 43.055" उ 90° 14' 37.710" पू में स्टेशन सं. 1 में बोदेरेंगगरे ए किंग से रोंगखोन धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर जाती है।

उपाबंध - II

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	25°31'43.055"उ	90°14'37.710"पू
2	25°31'34.284" उ	90°15'15.126"पू
3	25°31'20.913" उ	90° 15'40.744"पू
4	25°31'8.311" उ	90°16'4.669"पू
5	25°31'7.307" उ	90°16'33.042"पू
6	25°31'9.281" उ	90°16'58.518"पू
7	25°31'33.509" उ	90°17'9.333"पू
8	25°31'34.291" उ	90°17'27.016"पू
9	25°31'27.856" उ	90° 17'56.720"पू
10	25°31'9.564" उ	90°18' 13.531"पू
11	25°30'51.885" उ	90°18'28.494"पू
12	25°30'37.010"उ	90°18'40.751"पू
13	25°30'21.363"उ	90°18'59.373"पू
14	25°30'21.295"उ	90°19'38.360"पू
15	25°30'28.331"उ	90°20'5.867"पू
16	25°30'28.836"उ	90°20'36.590"पू
17	25°30'55.032"उ	90°21'1.184"पू
18	25°31'14.757"उ	90°21'29.967"पू
19	25°31'3.205"उ	90°22'8.718"पू
20	25°30'53.438"उ	90°22'45.611"पू
21	25°30'45.368"उ	90°23'18.318"पू
22	25°30'29.397"उ	90°23'40.846"पू
23	25° 30'18.441"उ	90°24'6.285"पू
24	25°29'58.209"उ	90°24'44.259"पू
25	25°29'34.396"उ	90°25'9.239"**पू**
26	25°29'18.701"उ	90°25'43.667"**पू**

27	25°29'24.092"उ	90°26'14.266"पू
28	25°29'3.962"उ	90°26'31.398"पू
29	25°29'17.239"उ	90°26'52.385"पू
30	25°29'12.314"उ	90°27'22.152"पू
31	25°29'3.748"उ	90°27'57.059"पू
32	25°28'52.299"उ	90°28'35.251"पू
33	25°29'5.898"उ	90°28' 31.986"पू
34	25°29'24.172"उ	90°28'58.371"पू
35	25°29'13.053"उ	90°29'25.027"पू
36	25°29'16.999"उ	90°29'59.056"पू
37	25°29'10.310"उ	90°30'20.720"पू
38	25°28'55.588"उ	90°30'43.022"पू
39	25°28'33.998"उ	90°30'42.664"पू
40	25°28'7.114"उ	90°31' 6.941" पू
41	25°27'56.658"उ	90°31'41.550"पू
42	25°27'45.511"उ	90°32'15.758"पू
43	25°28'3.908"उ	90°32'48.438"पू
44	25°27'42.973"उ	90°32'56.804"पू
45	25°27'14.419"उ	90°32'52.879"पू
46	25°26'50.513"उ	90°33'1.198"पू
47	25°26'24.112"उ	90°33'12.271"पू
48	25°25'49.291"उ	90°33'14.669"पू
49	25°25'35.817" उ	90°34'0.720"पू
50	25°25'29.221"उ	90°34'40.851"पू
51	25°24'38.073"उ	90°34'52.655"पू
52	25°24'10.602"उ	90°34'29.149"पू
53	25°24'16.619"उ	90°33'43.012"पू
54	25°23'53.941"उ	90°33'10.357"पू
55	25°23'31.283"उ	90°32'31.939"पू
56	25°22'56.265"उ	90°32'35.896"पू
57	25°22'36.906"उ	90°32'10.027"पू
58	25°22'58.664"उ	90°31'27.539"पू
59	25°23'13.574"उ	90°31'23.508"पू

60	25°23'45.440"उ	90° 31'6.162"पू
61	25°24'13.579"उ	90°30'50.229"पू
62	25°24'23.601"उ	90°30'9.523"पू
63	25°24'46.998"उ	90°29'44.409"पू
64	25°25'18.453"उ	90°29'8.843"पू
65	25°25'52.786"उ	90°28'54.863"पू
66	25°26'12.322"उ	90°28'31.019"पू
67	25°26'22.495"उ	90°27'56.219"पू
68	25°26'20.246"उ	90°27'21.099"पू
69	25°25'59.934"उ	90°27'16.366"पू
70	25°25'26.467"उ	90°27'17.847"पू
71	25°25'14.971"उ	90°26'35.884"पू
72	25°25'25.075"उ	90°26'22.421"पू
73	25°25'41.693"उ	90°25'50.727"पू
74	25°25'19.764"उ	90°25'31.539"पू
75	25°25'28.844"उ	90°25'0.530"पू
76	25°25'35.302"उ	90°24'13.615"पू
77	25°25'28.364"उ	90°23'21.576"पू
78	25°24'58.126"उ	90°23'4.618"पू
79	25°24'54.030"उ	90°22'19.061"पू
80	25°24'45.117"उ	90°21'37.795"पू
81	25°24'28.578"उ	90°21'14.502"पू
82	25°24'32.908"उ	90°20'21.065"पू
83	25°24'38.211"उ	90°19'30.019"पू
84	25°24'52.328"उ	90°19'16.958"पू
85	25°25'6.588"उ	90°19'29.661"पू
86	25°25'34.372"उ	90°19'42.469"पू
87	25°25'50.634"उ	90°19'7.181"पू
88	25°25'36.516"उ	90°18'24.318"पू
89	25°25'34.695"उ	90°17'45.481" पू
90	25°26'5.168" उ	90°17'14.837"पू
91	25°26'2.303"उ	90°16'53.854"पू
92	25°26'17.688"उ	90°16'24.437"पू

93	25°26'42.503"उ	90°16'31.257"पू
94	25° 27'15.038"उ	90°16'18.467"पू
95	25°27'49.482"उ	90°15'52.957"पू
96	25°28'15.526"उ	90°15'27.987"पू
97	25°28'42.664"उ	90°14' 52.451"पू
98	25°28'55.538"उ	90°14'17.126"पू
99	25°29'21.295"उ	90°14'25.513"पू
100	25°29'52.133"उ	90°14'29.154"पू
101	25°30'17.872"उ	90°13'48.830"पू
102	25°30'46.245"उ	90°13'47.204"पू
103	25°31'22.291"उ	90°13'55.428"पू

सारणी ख

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	25° 31' 43.055" उ	90° 14' 37.710" पू
2	25° 31' 34.284" उ	90° 15' 15.126" पू
3	25° 31' 20.913" उ	90° 15' 40.744" पू
4	25° 31' 8.311" उ	90° 16' 4.669" पू
5	25° 31' 7.307" उ	90° 16' 33.042" पू
6	25° 31' 9.281" उ	90° 16' 58.518" पू
7	25° 31' 33.509" उ	90° 17' 9.333" पू
8	25° 31' 34.291" उ	90° 17' 27.016" पू
9	25° 31' 27.856" उ	90° 17' 56.720" पू
10	25° 31' 9.564" उ	90° 18' 13.531" पू
11	25° 30' 51.885" उ	90° 18' 28.494" पू
12	25° 30' 37.010" उ	90° 18' 40.751" पू
13	25° 30' 21.363" उ	90° 18' 59.373" पू
14	25° 30' 21.295" उ	90° 19' 38.360" पू
15	25° 30' 28.331" उ	90° 20' 5.867" पू
16	25° 30' 28.836" उ	90° 20' 36.590" पू
17	25° 30' 55.032" उ	90° 21' 1.184" पू
18	25° 31' 14.757" उ	90° 21' 29.967" पू

19	25° 31' 3.205" उ	90° 22' 8.718" पू
20	25° 30' 53.438" उ	90° 22' 45.611" पू
21	25° 30' 45.368" उ	90° 23' 18.318" पू
22	25° 30' 29.397" उ	90° 23' 40.846" पू
23	25° 30' 18.441" उ	90° 24' 6.285" पू
24	25° 29' 58.209" उ	90° 24' 44.259" पू
25	25° 29' 34.396" उ	90° 25' 9.239" पू
26	25° 29' 18.701" उ	90° 25' 43.667" पू
27	25° 29' 24.092" उ	90° 26' 14.266" पू
28	25° 29' 3.962" उ	90° 26' 31.398" पू
29	25° 29' 17.239" उ	90° 26' 52.385" पू
30	25° 29' 12.314" उ	90° 27' 22.152" पू
31	25° 29' 3.748" उ	90° 27' 57.059" पू
32	25° 28' 52.299" उ	90° 28' 35.251" पू
33	25° 29' 5.898" उ	90° 28' 31.986" पू
34	25° 29' 24.172" उ	90° 28' 58.371" पू
35	25° 29' 13.053" उ	90° 29' 25.027" पू
36	25° 29' 16.999" उ	90° 29' 59.056" पू
37	25° 29' 10.310" उ	90° 30' 20.720" पू
38	25° 28' 55.588" उ	90° 30' 43.022" पू
39	25° 28' 33.998" उ	90° 30' 42.664" पू
40	25° 28' 7.114" उ	90° 31' 6.941" पू
41	25° 27' 56.658" उ	90° 31' 41.550" पू
42	25° 27' 45.511" उ	90° 32' 15.758" पू
43	25° 28' 3.908" उ	90° 32' 48.438" पू
44	25° 27' 42.973" उ	90° 32' 56.804" पू
45	25° 27' 14.419" उ	90° 32' 52.879" पू
46	25° 26' 50.513" उ	90° 33' 1.198" पू
47	25° 26' 24.112" उ	90° 33' 12.271" पू
48	25° 25' 49.291" उ	90° 33' 14.669" पू
49	25° 25' 35.817" उ	90° 34' 0.720" पू
50	25° 25' 29.221" उ	90° 34' 40.851" पू
51	25° 24' 38.073" उ	90° 34' 52.655" पू

52	25° 24' 10.602" उ	90° 34' 29.149" पू
53	25° 24' 16.619" उ	90° 33' 43.012" पू
54	25° 23' 53.941" उ	90° 33' 10.357" पू
55	25° 23' 31.283" उ	90° 32' 31.939" पू
56	25° 22' 56.265" उ	90° 32' 35.896" पू
57	25° 22' 36.906" उ	90° 32' 10.027" पू
58	25° 22' 58.664" उ	90° 31' 27.539" पू
59	25° 23' 13.574" उ	90° 31' 23.508" पू
60	25° 23' 45.440" उ	90° 31' 6.162" पू
61	25° 24' 13.579" उ	90° 30' 50.229" पू
62	25° 24' 23.601" उ	90° 30' 9.523" पू
63	25° 24' 46.998" उ	90° 29' 44.409" पू
64	25° 25' 18.453" उ	90° 29' 8.843" पू
65	25° 25' 52.786" उ	90° 28' 54.863" पू
66	25° 26' 12.322" उ	90° 28' 31.019" पू
67	25° 26' 22.495" उ	90° 27' 56.219" पू
68	25° 26' 20.246" उ	90° 27' 21.099" पू
69	25° 25' 59.934" उ	90° 27' 16.366" पू
70	25° 25' 26.467" उ	90° 27' 17.847" पू
71	25° 25' 14.971" उ	90° 26' 35.884" पू
72	25° 25' 25.075" उ	90° 26' 22.421" पू
73	25° 25' 41.693" उ	90° 25' 50.727" पू
74	25° 25' 19.764" उ	90° 25' 31.539" पू
75	25° 25' 28.844" उ	90° 25' 0.530" पू
76	25° 25' 35.302" उ	90° 24' 13.615" पू
77	25° 25' 28.364" उ	90° 23' 21.576" पू
78	25° 24' 58.126" उ	90° 23' 4.618" पू
79	25° 24' 54.030" उ	90° 22' 19.061" पू
80	25° 24' 45.117" उ	90° 21' 37.795" पू
81	25° 24' 28.578" उ	90° 21' 14.502" पू
82	25° 24' 32.908" उ	90° 20' 21.065" पू
83	25° 24' 38.211" उ	90° 19' 30.019" पू
84	25° 24' 52.328" उ	90° 19' 16.958" पू

85	25° 25' 6.588" उ	90° 19' 29.661" पू
86	25° 25' 34.372" उ	90° 19' 42.469" पू
87	25° 25' 50.634" उ	90° 19' 7.181" पू
88	25° 25' 36.516" उ	90° 18' 24.318" पू
89	25° 25' 34.695" उ	90° 17' 45.481" पू
90	25° 26' 5.168" उ	90° 17' 14.837" पू
91	25° 26' 2.303" उ	90° 16' 53.854" पू
92	25° 26' 17.688" उ	90° 16' 24.437" पू
93	25° 26' 42.503" उ	90° 16' 31.257" पू
94	25° 27' 15.038" उ	90° 16' 18.467" पू
95	25° 27' 49.482" उ	90° 15' 52.957" पू
96	25° 28' 15.526" उ	90° 15' 27.987" पू
97	25° 28' 42.664" उ	90° 14' 52.451" पू
98	25° 28' 55.538" उ	90° 14' 17.126" पू
99	25° 29' 21.295" उ	90° 14' 25.513" पू
100	25° 29' 52.133" उ	90° 14' 29.154" पू
101	25° 30' 17.872" उ	90° 13' 48.830" पू
102	25° 30' 46.245" उ	90° 13' 47.204" पू
103	25° 31' 22.291" उ	90° 13' 55.428" पू

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अंचीगरे	25° 25' 53.500" उ	90° 18' 58.300" पू
2	अवेगरे	25° 25' 56.000" उ	90° 18' 20.100" पू
3	बालादिंगगरे	25° 30' 25.800" उ	90° 17' 59.340" पू
4	दाना अदुगरे	25° 25' 27.600" उ	90° 20' 53.800" पू
5	दारेंगगरे	25° 24' 25.600" उ	90° 26' 45.500" पू
6	दारेंगरे	25° 28' 57.563" उ	90° 14' 18.682" पू
7	दारिबोकगरे	25° 29' 25.566" उ	90° 19' 21.307" पू
8	दुरा असिमगरे	25° 27' 15.100" उ	90° 16' 25.300" पू
9	दुराबंदा	25° 26' 13.515" उ	90° 17' 7.183" पू

10	जेटरागरे	25° 25' 34.775" उ	90° 27' 17.395" पू
11	मंडालगरे	25° 30' 18.220" उ	90° 21' 59.297" पू
12	मेकलपारा	25° 25' 29.489" उ	90° 23' 2.834" पू
13	नाबोक्गरे	25° 27' 41.126" उ	90° 32' 17.047" पू
14	नेंगसरैंग अदुगरे	25° 28' 47.905" उ	90° 29' 4.518" पू
15	रोंगासिगरे	25° 25' 27.700" उ	90° 25' 25.000" पू
16	रोंगचान्गगरे	25° 25' 35.100" उ	90° 20' 11.800" पू
17	रोंगचेक मंडागरे	25° 29' 31.091" उ	90° 25' 12.133" पू
18	रोंगकुगरे	25° 28' 6.553" उ	90° 15' 47.647" पू
19	रोंगमा पारोमगरे	25° 24' 36.443" उ	90° 30' 55.775" पू
20	साकालगरे	25° 29' 53.424" उ	90° 17' 35.952" पू
21	सासातगरे	25° 28' 0.043" उ	90° 15' 52.512" पू
22	सोबोक्गरे	25° 27' 56.506" उ	90° 31' 20.056" पू
23	वागे चिरिंगगरे	25° 25' 48.000" उ	90° 19' 33.700" पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2023

S.O. 2877(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2776 (E), dated the 9th July, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th July, 2021;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Nokrek National Park with an area of 47.48 square kilometers is situated at the tri-junction of East Garo Hills, West Garo Hills and South Garo Hills Districts and lies between 25° 30' 26.681" N to 25° 24' 17.417" N latitude and 90° 14' 35.600" E to 90° 33' 55.695" E longitude and the entire area is a hilly terrain located on Tura range of mountain system in the western part of Meghalaya and the surrounding area is principal watershed for the afore-mentioned three districts;

AND WHEREAS, Nokrek National Park forms an important catchment area of major river system which feed the low-lying area of Garo Hills and three major rivers originating from this area *viz.* Simsang, Ganol and Dareng add significance to the National Park. The Nitai, Bhugai, Didari, Mandal, Rombong, Kampil, Sobok, Chibe etc. are other important water systems. The area consists of red loamy soil and has a tropical climate characterized by high rainfall and high humidity, moderate cold winter and mild summer seasons;

AND WHEREAS, the Nokrek National Park supports broad-leaved evergreen and semi-evergreen forests with brackets of bamboo at lower altitudes and area falls under Bio-geographical Province, Burma Monsoon Forest (4.09.04) and it represents Bio-geographical unit 9B Meghalaya Hills in the North-East India. The forests approached the type Eastern Sub-montane Semi-evergreen Forests (sub-type 26/c16) grouped under Tropical Semi-evergreen forests;

AND WHEREAS, the vegetation of the Nokrek National Park and its surrounding area (buffer and transition zones of the Biosphere Reserve) is broadly classified into the flora of tropical and sub-tropical zones based on the altitudes. The tropical vegetation covers an area up to the elevation of about 1000 meters from sea level. The species are of evergreen, semi evergreen, moist deciduous types and include bamboo thickets;

AND WHEREAS, the Nokrek Biosphere Reserve having Nokrek National Park as its core zone comprises one of the few unique areas of Garo Hills forms a part of one of the global hotspots of biodiversity endowed with virgin forested areas representing natural beauty, undisturbed diverse flora and fauna and varied human cultures;

AND WHEREAS, the Nokrek National Park conserves the floral and faunal biodiversity and supports about 75 species of flora including *Schima wallichii, Terminalia bellirica, Terminalia chebula, Albizia lebbeck, Sizigium sp., Alucida sp., Glycodium sp., Castanopsis hystrix, Litsia nepalensis, Acrocarpus fraxinifolius, Rhus javanica, Ficus sp., Ziziphus rugosa, Premna multiflora, Mitraphora tomentosa, Aglata ruxburghii, Ilelicia rubusta, Quercus semiserata, Eryobotyra bengalensis, Breynia patens, Engel handia, Dileniapentagyna, Cllecapus floribundus, Gimelina arborea, Goroinia alfinis, Glochidion sp., Citsia sp., Holarrhena antidysenterica, Legarstomia sp., Kydia calycina, Salmalia malabarica, Sterculia vilosa, Aporosa dioica, Mallotus philippensis, Bauhunia sp., Calicarpa arborea, Emblica officinalis, Cinnamomum sp., Hibiscus macrophyllus,* etc. The floristic composition includes *Michelia sp., Aporosa wallichii, Cryptocara andersonii, Mesua ferrea, Castanopsis hystrix, Castanaposis amata, Betula culinidristachis* etc. Few shrubs and bushes of 1 to 2 meters in height like *Munronia pinnata, Eryobotra angustissima, Antistrophe oxyantha, Strobilanthus glomeratus and Erianthus sp.* form the ground cover in these areas. Weeds like *Eupathorium odoration, Mikania micrantha, Croton sp.* are infested in the forest gaps. The bamboo species comprises of *Dinochloa maclellandii* and *Melocanna bambusoides.* Epiphytic growth is also rich in these forests and almost every tree is perched over by dense growth of epiphytic orchids, ferns and other plants. The ground flora consists of species like *Alpinia sp., Amomum sp., Colocasia sp., Costrus sp., Hedychium sp., Citrus indica, Citrus laptis, Citrus reticulate, Citrus aurantifolia Swingle, Citrus grandis, Citrus jambhiri* and *Citrus limon* etc*;*

AND WHEREAS, the Nokrek National Park supports several fauna species including hoolock gibbon *(Hoolock hoolock)*, rhesus monkey *(Macaca mulatta)*, stump tailed macaque *(Macaca arctoides)*, pig tailed macaque (*Macaca leonina*), capped langur (*Trachypithecus pileatus*), Himalayan black bear *(Ursus thibetanus laniger)*, sun bear (*Helarctos malayanus*), pangolin (*Manis crassicaudata*), slow loris (*Nycticebus* sp.), Bonnet monkey (*Macaca radiata*), Malayan giant squirrel (*Ratufa bicolor*), Himalayan squirrel (*Dremomys lokriah*), flying squirrel (*Petaurista sp.*), Binturong (*Arctictis binturong*), clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), sambar (*Rusa unicolor*), barking deer

(*Muntiacus muntjak*), serow (*Capricornis sp.*), wild elephant (*Elephas maximus*), wild boar (*Sus scrofa*), bison (*Bos gaurus*), Indian fox (*Vulpes bengalensis*), Indian wolf (*Canis lupus*), porcupine (*Hystrix indica*), mongoose (*Herpestes sp*.), civet cat (*Viverra sp.*) etc.;

AND WHEREAS, the National Park is rich in avifauna and supports, conserve and protect the important species like kalij pheasant (*Lophura leucomelanos*), great Indian pied hornbill (*Buceros bicornis*), common hornbill (*Buceros bicornis*), peacock pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), crested serpent eagle (*Spilornis cheela*), etc. The herpeto fauna of the area includes many species of snakes, lizards, and turtles;

AND WHEREAS, the National Park also conserves, protect and provides shelter to endangered and threatened floral and faunal species including *Citrus indica, Nepenthes khasiana, Paphiopedilum venustum,* binturong, hoolock gibbon, clouded leopard, gaur, pig-tailed macaque, stump-tailed macaque, Asian elephant, leopard, giant squirrel, etc.*;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nokrek National Park specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.272 kilometres to 6.976 kilometres around the boundary of Nokrek National Park, in East Garo Hills, West Garo Hills and South Garo Hills Districts in the State of Meghalaya as the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) the details of which are specified in paragraph 1, for the purpose of protection and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environment pollution and taking following measures as under, namely: -

1. Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 224 square kilometres with an extent of 0.272 kilometres to 6.976 kilometres around the boundary of Nokrek National Park.

(2) The boundary description of Nokrek National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The map of the Nokrek National Park demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Nokrek National Park and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare and notify a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared in the manner specified in this notification and also shall be in consonance with the relevant laws for the time being in force and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Land Revenue and Disaster Management;

(v) Urban Affairs;

(vi) District Council Affairs;

(vii) Tourism;

(viii) Community and Rural Development;

(ix) Water Resources;

(x) Municipal;

(xi) Panchayati Raj;

(xii) Meghalaya State Pollution Control Board; and

(xiii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so prepared and notified shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that as specified in this case, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the Competent Authority under the Meghalaya Town and Country Planning Act, (1973), as applicable and, provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other applicable rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution, and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Departments of Environment and Forests of the State Government;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-Medical Waste.–** Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016**.**

(12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016.

(14) **Vehicular traffic.–** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) **Industrial units.–** (a) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, the rules made there under, including the Coastal Regulation Zone, 2011, notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide number S.O 1533 (E) dated the 14th September, 2006 and other applicable laws and laws for the time being inforce in the manner as specified in the Table below namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing red category industries shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone. CPCB's Guidelines on Categorisation of industries, 2016 *vide* their letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-2016 dated 07.03.2016, shall be applicable.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.

7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

	practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-.- For effective monitoring of the provisions of this notification the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986,, comprising of the following, namely:-

i. The Conservator of Forests (Territorial and Wildlife), Garo Hills, Government of Meghalaya - Chairman, *Ex- officio;*

ii. A representative not below the rank of an Extra Assistant Commissioner from the office of the Deputy Commissioner of each of three districts namely, East Garo Hills District, West Garo Hills District and South Garo Hills District - Member, e*x-officio*;

iii. The Chief Forest Officer, Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) - Member, e*x-officio*;

iv. A representative not below the rank of a Deputy Secretary from Revenue and Disaster Management Department, Government of Meghalaya- Member, e*x-officio*;

v. A representative of non-governmental organisation working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Meghalaya- Member;

vi. A representative of the Meghalaya State Pollution Control Board - Member, e*x-officio*;

vii. One expert in Ecology from reputed Institution/University to be nominated by the Government of Meghalaya- Member;

viii. One expert in Biodiversity to be nominated by the State Government- Member;

ix. The Divisional Forest Officer, Garo Hills Wildlife Division, Tura - Member Secretary, e*x-officio.*

6. Functions of the Monitoring Committee. –

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in

the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 , and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Regulatory Authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector concerned or the Deputy Conservator of Forests concerned shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from Departments concerned, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at Annexure-V.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal

[F. No. 25/25/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA**,** Scientist 'G'

ANNEXURE- I

i. BOUNDARY DESCRIPTION OF NOKREK NATIONAL PARK, MEGHALAYA

NORTH: The National Park is bounded on the North by the Northern part of Rongma-Paromgre A'king, Noman's land Nabokgre, Sobokgre, Adugre A'king and part of No mans land. Northern part of Bangsinggrea'king and part of No mans land. Northern part of Ampanggre, Bandigre A'king and part of no mans land. Northern part of Durakalakgre, SakalgreKhasland and Darechikgre A'king.

EAST: Bounded on the East by the Eastern part of Rongma Paromgre Aking, Aruak Nokatgre Aking and Rongma-Dabalgreaking.

SOUTH: Bounded on the South by DarenggreAking, Southern part of Rongkugreaking, Dura-Asimggre and Dura Aminggre and Durabandaaking, Southern part of Awegiri, Anchigre, Wagechiringgre, Rongdogre and Doma Adinggre Aking. Also by Southern part of Makalparagiri, Rongasigre, Darenggiri, Jetragre, and Rongmaparomgreaking.

WEST: Bounded on the West by Tura catchment areas and parts of Darengrea'king.

ii. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NOKREK NATIONAL PARK , MEGHALAYA

General boundary description of the proposed Eco-Sensitive Zone:

North: The Northern boundary makes up of villages like Dura Kalakgre (25°30'21.363" N& 90° 18' 59.373" E) is approximately 3.12 Km from PA, Mandalgre (25° 31' 3.205" N & 90° 22' 8.718" E)is approximately 5 Km from PA, Mandal Nokat (25° 30' 28.331" N &90° 20' 5.867" E) which is approximately 4.43 km from the PA, Bansinggre (25° 29' 17.239" N &90° 26' 52.385") is approximately 2.36 km from PA, Bandigre(N25.506783&E090.400317) which is 3.39km from the PA.

East: The eastern boundary comprises of villages like Kakwa Duragre (25° 25' 49.291" N &90° 33' 14.669" E) which is only about 0.42 km from the PA.

West: The western boundary has villages like Nikrang A'ding (25° 30' 46.245" N&90° 13' 47.204" E) which is approx. 1.77 km and Darengre (25° 28' 55.538" N &90° 14' 17.126" E) which is approx. 1.80 km from the PA.

South: The southern boundary has villages like Anchigre (25° 25' 50.634" N &90° 19' 7.181" E) which is approx. 2.33 km from the PA and Rongasigre (25° 25' 19.764" N &90° 25' 31.539" E) which is approx. 2.81 km from the PA.

Boundary description of the proposed Eco-Sensitive Zone with geo-coordinates:

NORTH: The Northern boundary of the Eco-sensitive zone starts from a point on Rongkhon stream at station No. 1 at 25° 31' 43.055" N 90° 14' 37.710" E, then proceed toward South-eastern direction to station No. 2 at 25° 31' 34.284" N90° 15' 15.126" E, then proceeds toward South-eastern direction to No. 3 at 25° 31' 20.913" N 90° 15' 40.744" E, then proceeds toward South-eastern direction to station No. 4 at 25° 31' 8.311" N 90° 16' 4.669" E, then proceeds toward Eastern direction to station No. 5 at 25° 31' 7.307" N 90° 16' 33.042" E then proceeds toward Eastern direction near the Ganol river to station No. 6 at 25° 31' 9.281" N 90° 16' 58.518" E, then proceeds toward Northern direction running along the Ganol river to station No. 7 at 25° 31' 33.509" N 90° 17' 9.333" E, then proceeds toward North-eastern direction to station No. 8 at 25° 31' 34.291" N 90° 17' 27.016" E, then proceeds toward Eastern direction to station No. 9 at 25° 31' 27.856" N 90° 17' 56.720" E, then proceeds toward South-eastern direction to station No. 10 at 25° 31' 9.564" N 90° 18' 13.531" E, then proceeds toward South-eastern direction to station No. 11 at 25° 30' 51.885" N 90° 18' 28.494" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Durakalakgre Aking near the Ganolsa dam to station No.12 at 25° 30' 37.010" N 90° 18' 40.751" E, then proceeds toward South-eastern direction to tri-junction of Durakalakgre - Baladinggre village road at station No. 13 at 25° 30' 21.363" N 90° 18' 59.373" E, then proceeds toward Eastern direction to station No.14 at 25° 30' 21.295" N 90° 19' 38.360" E, then proceeds toward North-eastern direction to the Mandal Nokat village road at station No. 15 at 25° 30' 28.331" N 90° 20' 5.867" E, then proceeds toward North-eastern direction to Simsang river at station No. 16 at 25° 30' 28.836" N 90° 20' 36.590" E, then proceeds toward North-eastern direction along the Simsang river to station No. 17 at 25° 30' 55.032" N 90° 21' 1.184" E, then proceeds toward North-eastern direction along the Simsang river to Mandal river at station No. 18 at 25° 31' 14.757" N 90° 21' 29.967" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Mandalgre village hilltop to Station No. 19 at 25° 31' 3.205" N 90° 22' 8.718" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Rongkinggre to Bandigre Village road to station No. 20 at 25° 30' 53.438" N 90° 22' 45.611" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Rongkinggre to Bandigre Village road to station No. 21 at 25° 30' 45.368" N 90° 23' 18.318" E, then proceeds toward South-eastern direction near the Rongbang river to Station No. 22 at 25° 30' 29.397" N 90° 23' 40.846" E, then proceeds toward South-eastern direction running along the Bandigre to Ampanggre village road to station No. 23 at 25° 30' 18.441" N 90° 24' 6.285" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Ampanggre village to station No. 24 at 25° 29' 58.209" N 90° 24' 44.259" E, then proceeds toward South-eastern direction to station No. 25 at 25° 29' 34.396" N 90° 25' 9.239" E, then proceeds toward South-eastern direction to station No. 26 at 25° 29' 18.701" N 90° 25' 43.667" E, then proceeds toward North-eastern direction to Kampil river at station No. 27 at 25° 29' 24.092" N 90° 26' 14.266" E, then proceeds toward South-eastern along the Wakdinang stream to station No. 28 at 25° 29' 3.962" N 90° 26' 31.398" E, then proceeds toward North-eastern along the Wakdinang stream to station No. 29 at 25° 29' 17.239" N90° 26' 52.385" E, then proceeds toward Eastern direction along a straight line and meet at station No.30 at 25° 29' 12.314" N90° 27' 22.152" E, then proceeds toward Eastern direction along a hill top to station No. 31 at 25° 29' 3.748" N 90° 27' 57.059" E, then proceeds toward South-eastern direction along a straight line near the Jingamgre village to station No.32 at 25° 28'

52.299" N 90° 28' 35.251" E, then proceeds toward Northern direction to station No. 33 at 25° 29' 5.898" N 90° 28' 31.986" E, then proceeds toward North-eastern direction along the Dosim river between Nengsang Adugre and Jingamgre village to station No. 34 at 25° 29' 24.172" N 90° 28' 58.371" E, then proceeds toward Eastern direction along the Dosim river to station No. 35 at 25° 29' 13.053" N 90° 29' 25.027" E, then proceeds toward North-eastern direction along the Patalgre village to station No. 36 at 25° 29' 16.999" N 90° 29' 59.056" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Patalgre village road to Station No. 37 at 25° 29' 10.310" N 90° 30' 20.720" E, then proceeds toward South-eastern direction along Sobok Chiring/stream to station No. 38 at 25° 28' 55.588" N 90° 30' 43.022" E, then proceeds toward Southern direction along Sobok Chiring/stream and meets at station No. 39 at 25° 28' 33.998" N 90° 30' 42.664" E, then proceeds toward South-eastern direction along Sobok Chiring/stream to station No. 40 at 25° 28' 7.114" N 90° 31' 6.941" E, then proceeds toward South-eastern direction near the Sobok Chiring/stream to station No. 41 at 25° 27' 56.658" N 90° 31' 41.550" E, then proceeds toward South-eastern direction running straight along Nabokgre village to station No. 42 at 25° 27' 45.511" N 90° 32' 15.758" E

EAST : The Eastern boundary of the Eco-sensitive zone starts from station No. 42 at 25° 27' 45.511" N 90° 32' 15.758" E, then proceeds toward South-eastern direction running near the Chibok river to station No. 43 at 25° 28' 3.908" N 90° 32' 48.438" E, then proceeds toward South-eastern direction near the Chibok river to station No. 44 at 25° 27' 42.973" N 90° 32' 56.804" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Kakwa Rongbokgre village road to station No. 45 at 25° 27' 14.419" N 90° 32' 52.879" E, then proceeds toward South-eastern direction along a Check dam to station No. 46 at 25° 26' 50.513" N 90° 33' 1.198" E, then proceeds toward South-eastern direction running near the Kakwa Rongbokgre village road to station No. 47 at 25° 26' 24.112" N 90° 33' 12.271" E, then proceeds toward South-eastern direction along a straight line to station No. 48 at 25° 25' 49.291" N 90° 33' 14.669" E, then proceeds toward Eastern direction along the Chibe river to station No. 49 at 25° 25' 35.817" N 90° 34' 0.720" E, then proceeds toward Eastern direction along the Chibe river to station No. 50 at 25° 25' 29.221" N 90° 34' 40.851" E, then proceeds toward Southern direction near the Gonjagre village to Station No. 51 at 25° 24' 38.073" N 90° 34' 52.655" E, then proceeds toward Southern direction along the Gonja stream to station No. 52 at 25° 24' 10.602" N 90° 34' 29.149" E, then proceeds toward South-western direction along the Gonja stream to station No. 53 at 25° 24' 16.619" N 90° 33' 43.012" E, then proceeds toward South-western direction along the Gonja stream to station No. 54 at 25° 23' 53.941" N 90° 33' 10.357" E, then proceeds toward South-western direction along the Rongdik stream to station No. 55 at 25° 25' 29.221" N 90° 34' 40.851" E, then proceeds toward South-eastern direction along the Rongdik stream and meet at station No. 56 at 25° 23' 31.283" N 90° 32' 31.939" E, then proceeds toward South-western along the Rongdik stream to station No. 57 at 25° 22' 36.906" N 90° 32' 10.027" E.

SOUTH: Southern boundary of the Eco-sensitive zone starts from station No. 57 at 25° 22' 36.906" N 90° 32' 10.027" E, then proceeds toward North-western direction along the Rompa river to station No. 58 at 25° 22' 58.664" N 90° 31' 27.539" E, then proceeds toward North-western direction to station No. 59 at 25° 23' 13.574" N 90° 31' 23.508" E, then proceeds toward North-western direction along the Rompa river to station No. 60 at 25° 23' 45.440" N 90° 31' 6.162" E, then proceeds toward North-western running parallel to the Rekmangre village to station No. 61 at 25° 24' 13.579" N 90° 30' 50.229" E, then proceed toward North-western direction along the source of Kakija stream to station No. 62 at 25° 24' 23.601" N 90° 30' 9.523" E, then proceeds towards North-western direction along the Kakija stream to station No. 63 at 25° 24' 46.998" N 90° 29' 44.409" E, then proceeds toward North-western direction running parallel to Chigitchak stream to station No. 64 at 25° 25' 18.453" N 90° 29' 8.843" E, then proceeds toward North-western direction along a stream to station No. 65 at 25° 25' 52.786" N 90° 28' 54.863" E, then proceeds toward North-western along the Jetragre Aking to station No. 66 at 25° 26' 12.322" N 90° 28' 31.019" E, then proceeds toward North-western direction along the Jetragre Aking to Station No. 67 at 25° 26' 22.495" N 90° 27' 56.219" E, then proceeds toward Western direction along the Jetragre village road to station No. 68 at 25° 26' 20.246" N 90°

27' 21.099" E, then proceeds toward South-western direction along the Jetragre village road to station No. 69 at 25° 25' 59.934" N 90° 27' 16.366" E, then proceed toward South-eastern direction along the Jetragre village to station No. 70 at 25° 25' 26.467" N 90° 27' 17.847" E, then proceeds toward South-western direction to station No. 71 at 25° 25' 14.971" N 90° 26' 35.884" E, then proceeds toward North-western direction along Darenggre-Rongasigre village road to station No. 72 at 25° 25' 25.075" N 90° 26' 22.421" E, then proceeds toward North-western direction along Rongasigre village road to station No. 73 at 25° 25' 41.693" N 90° 25' 50.727" E, then proceeds towards South-western direction along the Rongasigre village road to station No. 74 at 25° 25' 19.764" N 90° 25' 31.539" E, then proceeds toward North-western direction along the Rongasi stream of Rongasigre village to station No. 75 at 25° 25' 28.844" N 90° 25' 0.530" E, then proceeds toward Western direction along the Bugi river to station No. 76 at25° 25' 35.302" N 90° 24' 13.615" E, then proceeds toward South-western direction along the Bugi river to station No. 77 at 25° 25' 28.364" N 90° 23' 21.576" E, then proceeds toward South-western direction along the Bugi river to station No. 78 at 25° 24' 58.126" N 90° 23' 4.618" E, then proceeds toward south-western direction along the Bugi river to station No. 79 at 25° 24' 54.030" N 90° 22' 19.061" E, then proceeds toward South-western direction along the Bugi river to station No. 80 at 25° 24' 45.117" N 90° 21' 37.795" E, then proceeds toward South-western direction along the Bugi river to station No. 81 at 25° 24' 28.578" N 90° 21' 14.502" E, then proceeds toward Western direction along the Bugi river at Bugigre village and the same river joins with the Dareng stream where its source is from Adugre village and meets at station No. 82 at 25° 24' 32.908" N 90° 20' 21.065" E, then proceeds toward Western direction running along the Rongdi river to station No. 83 at 25° 24' 38.211" N 90° 19' 30.019" E, then proceed toward North-western direction running along the Rongdi river and meet at station No. 84 at 25° 24' 52.328" N 90° 19' 16.958" E, proceed toward Northern direction running along the Rongdi river to station No. 85 at 25° 25' 6.588" N 90° 19' 29.661" E, then proceeds toward Northern direction along the Rongdi river to station No. 86 at 25° 25' 34.372" N 90° 19' 42.469" E, then proceeds toward North-western direction along the Anchigre to Wage Chiringgre village road to station No. 87 at 25° 25' 50.634" N 90° 19' 7.181" E, then proceeds toward South-western direction along the Norang river to station No. 88 at 25° 25' 36.516" N 90° 18' 24.318" E, then proceeds toward South-western direction along the Norang river to station No. 89 at 25° 25' 34.695" N 90° 17' 45.481" E, then proceeds toward North-western along the Ambisi river at village Durabanda and meet at station No. 90 at 25° 26' 5.168" N 90° 17' 14.837" E, then proceeds toward South-western direction along the Durabanda village to at station No. 91 at 25° 26' 2.303" N 90° 16' 53.854" E, then proceeds toward North-western direction along the Durabanda village road and meet at station No. 92 at 25° 26' 17.688" N 90° 16' 24.437" E, then proceeds toward Northern direction along the Durabanda to Dura Asim village road and finally meet at station No. 93 at 25° 26' 42.503" N 90° 16' 31.257" E, then proceeds toward North-western direction along the Dura Asim hill to station No. 94 at 25° 27' 15.038" N 90° 16' 18.467" E, proceed toward North-western direction along Sasatgre to Dura Asim village road to station No. 95 at 25° 27' 49.482" N 90° 15' 52.957" E, then proceeds toward North-western direction along Rongkugre to Darengre village road to station No. 96 at 25° 28' 15.526" N 90° 15' 27.987" E, then proceeds toward North-western direction along Rongkugre to Darengre village road to station No. 97 at 25° 28' 42.664" N 90° 14' 52.451" E.

WEST : Western boundary of the Eco-sensitive zone starts from station No. 97 at 25° 28' 42.664" N 90° 14' 52.451" E, then proceeds toward North-western direction along the Darengre village playground and School compound to station No. 98 at 25° 28' 55.538" N 90° 14' 17.126" E, then proceeds toward Northern direction along the Darengre village to station No. 99 at 25° 29' 21.295" N 90° 14' 25.513" E, proceed toward North-western direction along a stream to station No. 100 at 25° 29' 52.133" N 90° 14' 29.154" E, then proceeds toward North-western direction along the Tura Catchment area and meet at station No. 101 at 25° 30' 17.872" N 90° 13' 48.830" E, then proceeds toward Northern direction along a straight line to station No. 102 at 25° 30' 46.245" N 90° 13' 47.204" E, then proceeds toward the Northern direction to station No.

103 at 25° 31' 22.291" N 90° 13' 55.428" E, then proceeds toward North-eastern direction along the Boldorenggre Aking to Rongkhon stream at station No. 1 at 25° 31' 43.055"N 90° 14' 37.710" E.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NOKREK NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

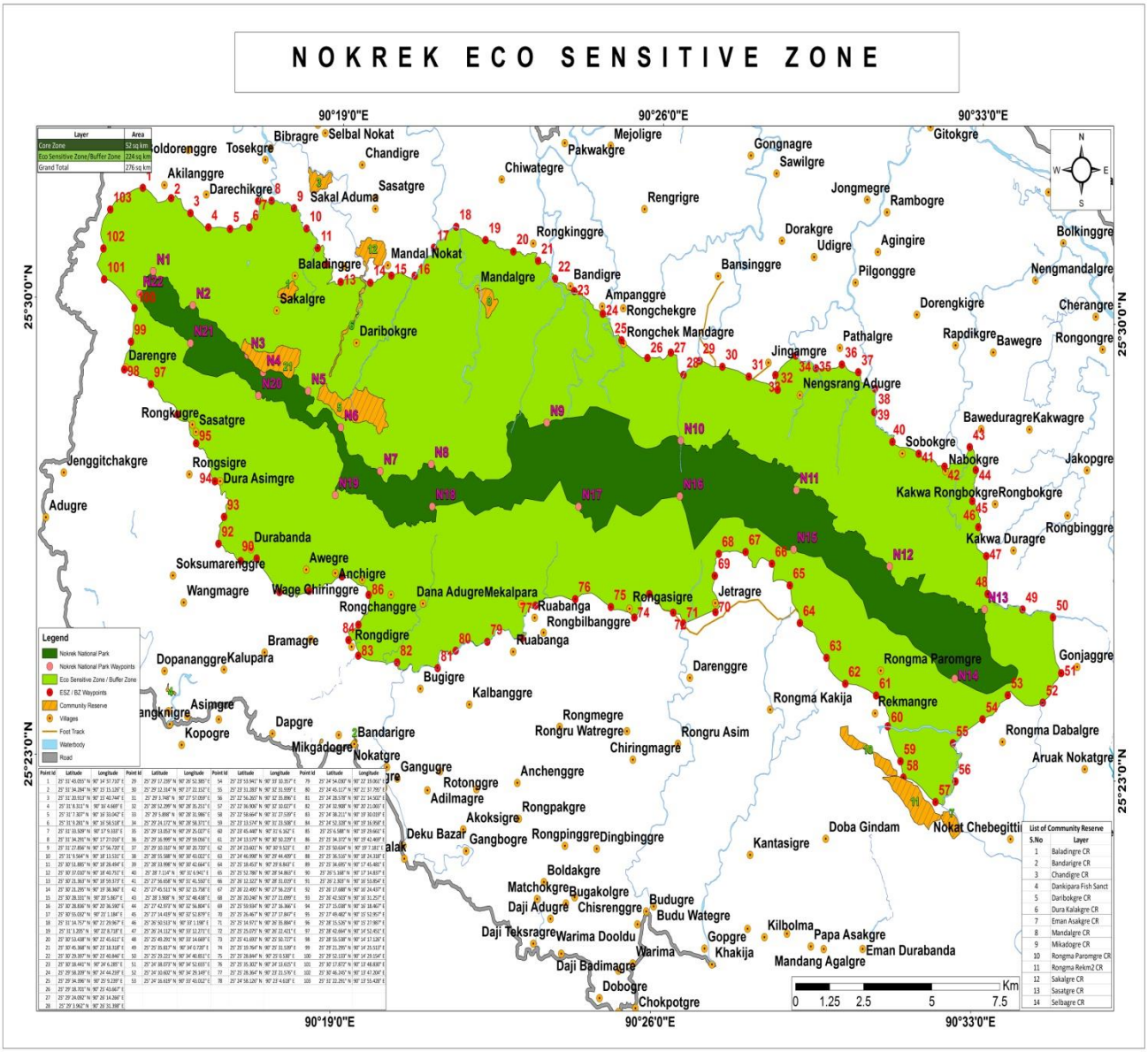


TABLE A

GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NOKREK NATIONAL PARK

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	25°31'43.055"N	90°14'37.710"E
2	25°31'34.284"N	90°15'15.126"E
3	25°31'20.913"N	90° 15'40.744"E
4	25°31'8.311"N	90°16'4.669"E
5	25°31'7.307"N	90°16'33.042"E
6	25°31'9.281"N	90°16'58.518"E
7	25°31'33.509"N	90°17'9.333"E
8	25°31'34.291" N	90°17'27.016"E

9	25°31'27.856"N	90° 17'56.720"E
10	25°31'9.564"N	90°18' 13.531"E
11	25°30'51.885"N	90°18'28.494"E
12	25°30'37.010"N	90°18'40.751"E
13	25°30'21.363"N	90°18'59.373"E
14	25°30'21.295"N	90°19'38.360"E
15	25°30'28.331"N	90°20'5.867"E
16	25°30'28.836"N	90°20'36.590"E
17	25°30'55.032"N	90°21'1.184"E
18	25°31'14.757"N	90°21'29.967"E
19	25°31'3.205"N	90°22'8.718"E
20	25°30'53.438"N	90°22'45.611"E
21	25°30'45.368"N	90°23'18.318"E
22	25°30'29.397"N	90°23'40.846"E
23	25° 30'18.441"N	90°24'6.285"E
24	25°29'58.209"N	90°24'44.259"E
25	25°29'34.396"N	90°25'9.239"E
26	25°29'18.701"N	90°25'43.667"E
27	25°29'24.092"N	90°26'14.266"E
28	25°29'3.962"N	90°26'31.398"E
29	25°29'17.239"N	90°26'52.385"E
30	25°29'12.314"N	90°27'22.152"E
31	25°29'3.748"N	90°27'57.059"E
32	25°28'52.299"N	90°28'35.251"E
33	25°29'5.898"N	90°28' 31.986"E
34	25°29'24.172"N	90°28'58.371"E
35	25°29'13.053"N	90°29'25.027"E
36	25°29'16.999"N	90°29'59.056"E
37	25°29'10.310"N	90°30'20.720"E
38	25°28'55.588"N	90°30'43.022"E
39	25°28'33.998"N	90°30'42.664"E
40	25°28'7.114"N	90°31' 6.941" E
41	25°27'56.658"N	90°31'41.550"E
42	25°27'45.511"N	90°32'15.758"E
43	25°28'3.908"N	90°32'48.438"E
44	25°27'42.973"N	90°32'56.804"E
45	25°27'14.419"N	90°32'52.879"E
46	25°26'50.513"N	90°33'1.198"E
47	25°26'24.112"N	90°33'12.271"E
48	25°25'49.291"N	90°33'14.669"E
49	25°25'35.817" N	90°34'0.720"E
50	25°25'29.221"N	90°34'40.851"E
51	25°24'38.073"N	90°34'52.655"E
52	25°24'10.602"N	90°34'29.149"E
53	25°24'16.619"N	90°33'43.012"E
54	25°23'53.941"N	90°33'10.357"E
55	25°23'31.283"N	90°32'31.939"E
56	25°22'56.265"N	90°32'35.896"E
57	25°22'36.906"N	90°32'10.027"E
58	25°22'58.664"N	90°31'27.539"E

59	25°23'13.574"N	90°31'23.508"E
60	25°23'45.440"N	90° 31'6.162"E
61	25°24'13.579"N	90°30'50.229"E
62	25°24'23.601"N	90°30'9.523"E
63	25°24'46.998"N	90°29'44.409"E
64	25°25'18.453"N	90°29'8.843"E
65	25°25'52.786"N	90°28'54.863"E
66	25°26'12.322"N	90°28'31.019"E
67	25°26'22.495"N	90°27'56.219"E
68	25°26'20.246"N	90°27'21.099"E
69	25°25'59.934"N	90°27'16.366"E
70	25°25'26.467"N	90°27'17.847"E
71	25°25'14.971"N	90°26'35.884"E
72	25°25'25.075"N	90°26'22.421"E
73	25°25'41.693"N	90°25'50.727"E
74	25°25'19.764"N	90°25'31.539"E
75	25°25'28.844"N	90°25'0.530"E
76	25°25'35.302"N	90°24'13.615"E
77	25°25'28.364"N	90°23'21.576"E
78	25°24'58.126"N	90°23'4.618"E
79	25°24'54.030"N	90°22'19.061"E
80	25°24'45.117"N	90°21'37.795"E
81	25°24'28.578"N	90°21'14.502"E
82	25°24'32.908"N	90°20'21.065"E
83	25°24'38.211"N	90°19'30.019"E
84	25°24'52.328"N	90°19'16.958"E
85	25°25'6.588"N	90°19'29.661"E
86	25°25'34.372"N	90°19'42.469"E
87	25°25'50.634"N	90°19'7.181"E
88	25°25'36.516"N	90°18'24.318"E
89	25°25'34.695"N	90°17'45.481" E
90	25°26'5.168" N	90°17'14.837"E
91	25°26'2.303"N	90°16'53.854"E
92	25°26'17.688"N	90°16'24.437"E
93	25°26'42.503"N	90°16'31.257"E
94	25° 27'15.038"N	90°16'18.467"E
95	25°27'49.482"N	90°15'52.957"E
96	25°28'15.526"N	90°15'27.987"E
97	25°28'42.664"N	90°14' 52.451"E
98	25°28'55.538"N	90°14'17.126"E
99	25°29'21.295"N	90°14'25.513"E
100	25°29'52.133"N	90°14'29.154"E
101	25°30'17.872" N	90°13'48.830"E
102	25°30'46.245"N	90°13'47.204"E
103	25°31'22.291"N	90°13'55.428"E

TABLE B

GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point Id	Latitude	Longitude
1	25° 31' 43.055" N	90° 14' 37.710" E

2	25° 31' 34.284" N	90° 15' 15.126" E
3	25° 31' 20.913" N	90° 15' 40.744" E
4	25° 31' 8.311" N	90° 16' 4.669" E
5	25° 31' 7.307" N	90° 16' 33.042" E
6	25° 31' 9.281" N	90° 16' 58.518" E
7	25° 31' 33.509" N	90° 17' 9.333" E
8	25° 31' 34.291" N	90° 17' 27.016" E
9	25° 31' 27.856" N	90° 17' 56.720" E
10	25° 31' 9.564" N	90° 18' 13.531" E
11	25° 30' 51.885" N	90° 18' 28.494" E
12	25° 30' 37.010" N	90° 18' 40.751" E
13	25° 30' 21.363" N	90° 18' 59.373" E
14	25° 30' 21.295" N	90° 19' 38.360" E
15	25° 30' 28.331" N	90° 20' 5.867" E
16	25° 30' 28.836" N	90° 20' 36.590" E
17	25° 30' 55.032" N	90° 21' 1.184" E
18	25° 31' 14.757" N	90° 21' 29.967" E
19	25° 31' 3.205" N	90° 22' 8.718" E
20	25° 30' 53.438" N	90° 22' 45.611" E
21	25° 30' 45.368" N	90° 23' 18.318" E
22	25° 30' 29.397" N	90° 23' 40.846" E
23	25° 30' 18.441" N	90° 24' 6.285" E
24	25° 29' 58.209" N	90° 24' 44.259" E
25	25° 29' 34.396" N	90° 25' 9.239" E
26	25° 29' 18.701" N	90° 25' 43.667" E
27	25° 29' 24.092" N	90° 26' 14.266" E
28	25° 29' 3.962" N	90° 26' 31.398" E
29	25° 29' 17.239" N	90° 26' 52.385" E
30	25° 29' 12.314" N	90° 27' 22.152" E
31	25° 29' 3.748" N	90° 27' 57.059" E
32	25° 28' 52.299" N	90° 28' 35.251" E
33	25° 29' 5.898" N	90° 28' 31.986" E
34	25° 29' 24.172" N	90° 28' 58.371" E
35	25° 29' 13.053" N	90° 29' 25.027" E
36	25° 29' 16.999" N	90° 29' 59.056" E
37	25° 29' 10.310" N	90° 30' 20.720" E
38	25° 28' 55.588" N	90° 30' 43.022" E
39	25° 28' 33.998" N	90° 30' 42.664" E
40	25° 28' 7.114" N	90° 31' 6.941" E
41	25° 27' 56.658" N	90° 31' 41.550" E
42	25° 27' 45.511" N	90° 32' 15.758" E
43	25° 28' 3.908" N	90° 32' 48.438" E
44	25° 27' 42.973" N	90° 32' 56.804" E
45	25° 27' 14.419" N	90° 32' 52.879" E
46	25° 26' 50.513" N	90° 33' 1.198" E
47	25° 26' 24.112" N	90° 33' 12.271" E
48	25° 25' 49.291" N	90° 33' 14.669" E
49	25° 25' 35.817" N	90° 34' 0.720" E
50	25° 25' 29.221" N	90° 34' 40.851" E
51	25° 24' 38.073" N	90° 34' 52.655" E

52	25° 24' 10.602" N	90° 34' 29.149" E
53	25° 24' 16.619" N	90° 33' 43.012" E
54	25° 23' 53.941" N	90° 33' 10.357" E
55	25° 23' 31.283" N	90° 32' 31.939" E
56	25° 22' 56.265" N	90° 32' 35.896" E
57	25° 22' 36.906" N	90° 32' 10.027" E
58	25° 22' 58.664" N	90° 31' 27.539" E
59	25° 23' 13.574" N	90° 31' 23.508" E
60	25° 23' 45.440" N	90° 31' 6.162" E
61	25° 24' 13.579" N	90° 30' 50.229" E
62	25° 24' 23.601" N	90° 30' 9.523" E
63	25° 24' 46.998" N	90° 29' 44.409" E
64	25° 25' 18.453" N	90° 29' 8.843" E
65	25° 25' 52.786" N	90° 28' 54.863" E
66	25° 26' 12.322" N	90° 28' 31.019" E
67	25° 26' 22.495" N	90° 27' 56.219" E
68	25° 26' 20.246" N	90° 27' 21.099" E
69	25° 25' 59.934" N	90° 27' 16.366" E
70	25° 25' 26.467" N	90° 27' 17.847" E
71	25° 25' 14.971" N	90° 26' 35.884" E
72	25° 25' 25.075" N	90° 26' 22.421" E
73	25° 25' 41.693" N	90° 25' 50.727" E
74	25° 25' 19.764" N	90° 25' 31.539" E
75	25° 25' 28.844" N	90° 25' 0.530" E
76	25° 25' 35.302" N	90° 24' 13.615" E
77	25° 25' 28.364" N	90° 23' 21.576" E
78	25° 24' 58.126" N	90° 23' 4.618" E
79	25° 24' 54.030" N	90° 22' 19.061" E
80	25° 24' 45.117" N	90° 21' 37.795" E
81	25° 24' 28.578" N	90° 21' 14.502" E
82	25° 24' 32.908" N	90° 20' 21.065" E
83	25° 24' 38.211" N	90° 19' 30.019" E
84	25° 24' 52.328" N	90° 19' 16.958" E
85	25° 25' 6.588" N	90° 19' 29.661" E
86	25° 25' 34.372" N	90° 19' 42.469" E
87	25° 25' 50.634" N	90° 19' 7.181" E
88	25° 25' 36.516" N	90° 18' 24.318" E
89	25° 25' 34.695" N	90° 17' 45.481" E
90	25° 26' 5.168" N	90° 17' 14.837" E
91	25° 26' 2.303" N	90° 16' 53.854" E
92	25° 26' 17.688" N	90° 16' 24.437" E
93	25° 26' 42.503" N	90° 16' 31.257" E
94	25° 27' 15.038" N	90° 16' 18.467" E
95	25° 27' 49.482" N	90° 15' 52.957" E
96	25° 28' 15.526" N	90° 15' 27.987" E
97	25° 28' 42.664" N	90° 14' 52.451" E
98	25° 28' 55.538" N	90° 14' 17.126" E
99	25° 29' 21.295" N	90° 14' 25.513" E
100	25° 29' 52.133" N	90° 14' 29.154" E
101	25° 30' 17.872" N	90° 13' 48.830" E

102	25° 30' 46.245" N	90° 13' 47.204" E
103	25° 31' 22.291" N	90° 13' 55.428" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NOKREK NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of Villages	Latitude	Longitude
1	Anchigre	25° 25' 53.500" N	90° 18' 58.300" E
2	Awegre	25° 25' 56.000" N	90° 18' 20.100" E
3	Baladinggre	25° 30' 25.800" N	90° 17' 59.340" E
4	Dana Adugre	25° 25' 27.600" N	90° 20' 53.800" E
5	Darenggre	25° 24' 25.600" N	90° 26' 45.500" E
6	Darengre	25° 28' 57.563" N	90° 14' 18.682" E
7	Daribokgre	25° 29' 25.566" N	90° 19' 21.307" E
8	Dura Asimgre	25° 27' 15.100" N	90° 16' 25.300" E
9	Durabanda	25° 26' 13.515" N	90° 17' 7.183" E
10	Jetragre	25° 25' 34.775" N	90° 27' 17.395" E
11	Mandalgre	25° 30' 18.220" N	90° 21' 59.297" E
12	Mekalpara	25° 25' 29.489" N	90° 23' 2.834" E
13	Nabokgre	25° 27' 41.126" N	90° 32' 17.047" E
14	Nengsrang Adugre	25° 28' 47.905" N	90° 29' 4.518" E
15	Rongasigre	25° 25' 27.700" N	90° 25' 25.000" E
16	Rongchanggre	25° 25' 35.100" N	90° 20' 11.800" E
17	Rongchek Mandagre	25° 29' 31.091" N	90° 25' 12.133" E
18	Rongkugre	25° 28' 6.553" N	90° 15' 47.647" E
19	Rongma Paromgre	25° 24' 36.443" N	90° 30' 55.775" E
20	Sakalgre	25° 29' 53.424" N	90° 17' 35.952" E
21	Sasatgre	25° 28' 0.043" N	90° 15' 52.512" E
22	Sobokgre	25° 27' 56.506" N	90° 31' 20.056" E
23	Wage Chiringgre	25° 25' 48.000" N	90° 19' 33.700" E

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.05 11:29:26 +05'30'